न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 687–दो/2006 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–1–2006– पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 753/2001–02 अपील

विन्दु पुत्र बोदा राठौर ग्राम क्योटार
तहसील जैतहरी जिला शहडौल ——आवेदक

विरूद्व

1– श्रीमती अनियावाई पत्नि स्व. लोकनाथ
2– रामप्रसाद पुत्र स्व. लोकनाथ
दोनों ग्राम क्योटार तहसील जैतहारी
3– समारू पुत्र लोकनाथ
4– विशाल पुत्र लोकनाथ
5– सुश्री चमेलीवाई पुत्री लोकनाथ
सभी ग्राम उमरिया तहसील जैतहारी
जिला शहडौल मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आदेश

(आज दिनांक 17– 7– 2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 753/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–1–06 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है नायव तहसीलदार जैतहरी ने प्रकरण कमांक 8 अ 6/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 19–12–2000 से ग्राम क्योंटार

की भूमि सर्वे कमांक 182/4 क/1, 188/10, 1054, 2168/2 के रकवे पर लोकनाथ पुत्र सुखदेव का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर ने प्रकरण कमांक 62/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-7-2001 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार जैतहरी का आदेश दिनांक 19-12-2000 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 753/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-06 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर का आदेश दिनांक 13-7-2001 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हे।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण बार-बार सूचना पत्र भेजे जाने के वावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय हैं।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब आवेदक ने उसके स्वत्व की भूमि न कभी विकय की है और न ही किसी को कब्जा आदि दिया है तथा किसी व्यक्ति को खेती पर भी नहीं दी है इसके वाद भी वादोक्त भूमि को नायव तहसीलदार एंव अपर आयुक्त ने अनावेदक की होना मानने में भूल की है उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के प्रकरण कमांक 62/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-7-2001 को सही होना बताते हुये निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में नायव तहसीलदार जैतहरी के आदेश दिनांक 19-12-2000 , अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के आदेश दिनांक 13-7-2001 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक

30-1-06 के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 30-1-06 के पद 5 में विवेचना कर निष्कर्ष दिया है कि तहसील न्यायालय में नामान्तरण कार्यवाही विधिवत् इस्तहार जारी करके की गई है। विवादित भूमियां दोनों पक्षकारों के पूर्वजों के बीच में हुये हिस्सा वांट पर अनावेदक के नाम आई हैं तथा सर्वे क्रमांक 2168/2 2169/2 की भूमि दिनांक 18-2-91 की विक्री टीप अनुसार अनावेदकगण के पास आई है जिसकी पुष्टि साक्षीगण के कथनों से एंव मौके पर तैयार किये गये पंचनामा से हुई है। विवादित आराजियों पर वर्ष 2006 में पारित आदेश अनुसार अनावेदकगण का पिछले 20 वर्ष पूर्व से कब्जा प्रमाणित पाया है जिसे आज की स्थिति में लगभग 32 हो चुके हैं जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 30-1-06 में निकाले गये निष्कर्षो पर अविश्वास का कोई ठोस आधार नहीं है एंव विचाराधीन निगरानी सारहीन पाई गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 753/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-06 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर